बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-- पि०व०/बजट--30--02/2015 (खण्ड--II)-- 03

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बेगूसराय एवं बक्सर।

पटना, दिनांक-- 29/1/2026

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, बेगूसराय एवं बक्सर के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद में क्रमश रू० 2,58,469/- एवं रू० 2,72,592/- अर्थात् कुल राशि रू० 5,31,061/-- (रु० पाँच लाख इकतीस हजार इकसठ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय, बेगुसराय एवं बक्सर के संधारणार्थ विद्युत प्रभार मद में क्रमश रू० 2,58,469/- एवं रू० 2,72,592/- अर्थात् कुल राशि रु० 5,31,061/-(रु० पाँच लाख इकतीस हजार इकसठ) मात्र आवंटित की जाती है।

2--कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 13.04 विद्युत प्रभार इकाई में विपत्र कोड संख्या--11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3--इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। विद्युत प्रभार मद में आवंटित राशि का व्यय बेगूसराय, बक्सर जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के क्रमशः पत्रांक--331, दिनांक-26.12.2025, पत्रांक-12, दिनांक-07.01.2026 के आलोक में किया जायेगा।

4-आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक--2561, दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6-प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7-इसकी सूचना महालेखाकार, पटना को दिया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

29/01/2026

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O

D/Kundan-2 Budget Section/allotment excel and budget fort /Sanction & Allotment

ज्ञापांक– पि०व०/बजट–30–02/2015 (खण्ड–II)– 03 पटना, दिनांक– 29/1/2026

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित अनुमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/संबंधित प्रधानाचार्य, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

29/01/2026

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के संधारणार्थ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत आवंटित राशि का विवरण

विपत्र कोड–11–2225032770010 (राशि रू० में)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	1304 विद्युत प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बेगूसराय	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय	₹ 2,58,469	11 KV तार के शिफ्टिंग हेतु
2	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बक्सर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बक्सर	₹ 2,72,592	350 KVA HTS विद्युत कनेक्शन हेतु सुपरवीजन शुल्क एवं मीटरिंग यूनिट अधिष्ठापन हेतु
कुल योग (1+2)			**₹ 5,31,061**	

(रू० पाँच लाख इकतीस हजार इकसठ) मात्र

पत्रांक– 03 दिनांक– 29/1/2026 का अनुलग्नक।

29/01/2026

सरकार के अवर सचिव।